'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.09.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 20 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 सितंबर, 2018

दलित

डॉ. उदित राज

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सलाह जारी की गयी कि मीडिया को दलित शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। यह विषय बिना कारण उठ खड़ा हुआ है, फिर भी दम बहुत है। दलितों में भी एक बहुत ही छोटा वर्ग है जो इस शब्द के प्रयोग से परहेज करता है और वैसे ही कुछ बात गैर दलितों में है लेकिन उनके रूचि का विषय वस्तु है ही नहीं। शब्द किसी तथ्य या वस्तु को संबोधित करता है लेकिन जहाँ जाति आती है वहां पर यह मापदंड नही लागू होता है। जाति का नाम अच्छा रख लिया जाए लेकिन दूसरों की मानसिकता में फर्क नहीं पड़ेगा। एक समय था जब भंगी शब्द का प्रयोग होता था फिर उसका निषेध हुआ और उसकी जगह पर बाल्मीकि शब्द का प्रयोग होने लगा। इस जाति के लोगों को नाम परिवर्तन से संतोष जरुर हुआ है लेकिन दूसरों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ। कभी चमार और चुहडा शब्दों का प्रयोग बिना हिचक किया जाता था लेकिन समय अंतराल इसका भी निषेध हुआ और जाटव और बाल्मीकि हो गया। जाति के नाम का परिवर्तन की प्रक्रिया को मानव विज्ञान में संस्कृतीकरण कहा जाता है। तथाकथित निम्न जातियां प्रतिष्ठा प्राप्ति की स्पर्धा में नाम बदलती हैं। दलित पिछड़ों में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो अपनी चिर–परिचित जाति के नाम को बदलने का प्रयास करती हैं क्योंकि उन नामों के साथ मान–सम्मान नहीं जुड़ा था।

यह व्यक्ति और जाति की अभिव्यक्ति है कि वह किस नाम से जाना जाये। संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन प्रचलन में दलित शब्द का प्रयोग ज्यादा है। अनुसूचित जाति का मतलब है कि सैकड़ों जातियों का एक समूह और दलित का भी यही अर्थ है। कुछ लोगों के मत हैं कि अनुसूचित जाति का प्रयोग किया जाये और स्वयं को क्यों दलित माने। दलित शब्द के प्रयोग की शुरुआत की कोई निश्चित तिथि नहीं है लेकिन 70 के दशक में इसका प्रचलन तेजी से बढ़ता है और अब तो अनुसूचित जातियों का संबोधन ही मूलतः दलित शब्द से किया जाता है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी भी शब्द का चयन कर ले मानसिकता में परिवर्तन नहीं आने वाला। एक समय अफ्रीका निवासी को काला शब्द से संबोधित किया जाता था जो कि उनके लिए अपमानित करने के लिए था। जैसे–जैसे अफ्रीकियों में जाग्रति पैदा हुई अपने नाम में ही उन्हें सम्मान दिखने लगा। गोरों को मात देने के लिए उन्होंने कहना शुरू किया कि ''ब्लैक इज अ ब्यूटीफुल'' (जो काला है वह सुन्दर है) दलितों की दास्ताँ एवं शोषण उनसे कहीं ज्यादा है फिर भी अश्वेतों के बराबर न तो जाग्रति पैदा हुई है और न ही स्वाभिमान, वरना यह भी कहते कि वो चमार, पासी, धोबी, खटिक, मोचहर आदि हैं न कि संस्कृतीकरण वाले नाम का प्रयोग करते।

मान लिया जाये कि इस शब्द के प्रयोग का निषेध कर दिया जाता है तो परिस्थिति में परिवर्तन तो नही होगा लेकिन क्षति ज्यादा होगी। दलित शब्द अब आक्रोश, एकता और संघर्ष का नाम हो गया है। दलित साहित्य का निर्माण हो चुका है। न केवल राजनैतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग आम हो चुका है। पत्रकारिता, पठन–पाठन और लेखन में इसका बड़ी सहजता से प्रयोग किया जा रहा है। अगर कोई भेदभाव या अत्याचार होता है तो समझने और समझाने में भी आसान हो जाता है कि यह दलित से सम्बंधित है। मान लिया जाये कि दलित शब्द का प्रयोग न हो तो हजारों जातियां हैं और पत्रकार को उसके जाति का उल्लेख करना पड़ेगा तो जहाँ तक वो जाति है वहां तो लोग समझ जायेंगे लेकिन देश के दूसरे भाग में नहीं जान पाएंगे। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति में जो जाति है वो उत्तर–भारत में तो नही होगी तो मीडिया कैसे समझा पायेगी कि अनुसूचित जाति या शोषित समाज का व्यक्ति है।

नाम बदलने से नही बल्कि परिस्थिति बदलने से बराबरी मिलेगी। मान लिया जाये कि शुक्ला को भंगी के नाम से संबोधित किया जाता तो यही सम्मानित होता और शुक्ला यदि शुद्र समाज का होता तो वह भंगी जैसे ही शब्द का आकार ले लेता। दलित और पिछड़ी जातियों में नाम बदलने की संस्कृतीकरण की होड़ है लेकिन जान लें कि उससे हालात में परिवर्तन नहीं होंगे बल्कि बदतर होंगे। बेहतर है कि हर जाति को अपने गैर संस्क्रतीकरण वाले नाम से स्वयं को सम्बोधित करना चाहिए।

***

परिसंघ की रैली

3 दिसंबर, 2018
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की महारैली आगामी 3 दिसंबर, 2018 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास), नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। लगातार दलितों पर बढ्ते हुए अत्याचार/ भेदभाव व उत्पीड़न की घटनाओं के बावजूद भी यदि हम शांत बैठे रहे तो हमारे अधिकार कोई नहीं बचा सकता। इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा मकसद हमारी सहनशीलता का परीक्षण भी है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस रैली की सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री एवं आवश्यक दिशानिर्देश ''वॉयस ऑफ बुद्धा'' सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचती रेहगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण (टिकट) इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करलें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook/aiparisangh पेज को लाइक करे, टिवट्र @aiparisangh को फॉलो करें और युटूब aiparisangh को भी देखें और परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com को देखें। किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में **सुमित मो. 9868978306** से सम्पर्क करें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

व्यापक असर वाला शब्द दलित

बद्री नारायण

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय ने हाल में एक एडवाइजरी यानी सलाह जारी कर मीडिया एवं संबंधित संस्थानों से आग्रह किया कि वे दलित सामाजिक समूहों एवं जातियों के लिए दलित के स्थान पर अनुसूचित जाति या एससी शब्द का उपयोग करें। इससे मीडिया, राजनीतिक विश्लेषकों, अकादमिक वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक विमर्श छिड़ गया। उनकी ओर से यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इससे क्या हासिल होगा? इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? क्या सत्तारूढ़ दल द्वारा यह कदम उठाने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई है? इन सवालों के बीच यह जानना जरूरी है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में सभी सरकारी प्रपत्रों में दलित के स्थान पर एससी शब्द का ही इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एवं कई अन्य विधिक संस्थानों के माध्यम से भी ऐसे सुझाव सामने आ चुके हैं। एससी शब्द एक प्रशासनिक शब्दावली है। इसके तहत उन सामाजिक समूहों की अस्मिता निर्धारित होती है जिनका निर्धारण औपनिवेशिक जनगणना एवं गजेटियर्स के माध्यम से अंग्रेजी काल में किया गया था। आजादी के बाद शेड्यूल्ड की गई जातियों की सूची में समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता रहा। जबकि दलित शब्द एक व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक श्रेणी है। इसमें अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त जनजातियां, निम्न ओबीसी, मुस्लिम एवं महिला सहित वे सभी सामाजिक समूह आ सकते हैं जो हमारे जाति प्रधान समाज में दलन यानी दमन के शिकार रहे हैं। ऐसे में दलित शब्द एससी से ज्यादा व्यापक रूप में उपयोग में लाया जाता है। जब हम दलित शब्द का उपयोग करते हैं दो अर्थ सामने आते हैं- एक तो वह जो उपेक्षित, प्रताड़ित एवं दमित है, दूसरा वह जो अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संघर्ष में रत है। इसके विपरीत एससी शब्द एक निरपेक्ष व पैदा करता है। महाराष्ट्र से उभरी उपेक्षितों की राजनीति में दलित शब्द एक अस्मिता से जुड़े शब्द के रूप में सामने आया जिसे ज्योतिबा फूले एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे दमितों के विचारकों ने संघर्ष से नया राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अर्थ दिया। अब यह शब्द अनुसूचित जाति के लोगों एवं अन्य उपेक्षितों के लिए उनकी अस्मिता का प्रतीक शब्द बन गया है।।1दलित शब्द का उपयोग अनुसूचित समाज का मध्य वर्ग, पढ़ा लिखा तबका, शहरी दलित संवर्ग, दलित नेतृत्वकारी समूह लगातार करते रहे हैं। महाराष्ट्र में तो यह शब्द गांवों, कस्बों, झुग्गी बस्तियों के साथ ही मुंबई, पुणे, सतारा, नागपुर जैसे नगरों की अनुसूचित जाति की आबादी का लोकप्रिय शब्द बन गया है। इस शब्द का लंबा इतिहास रहा है। इतिहास ने इसका अर्थ और छवियां गढ़ी हैं। महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में दलित शब्द अभी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया है। गांवों में अनुसूचित जाति के लोग अपनी जाति के नाम से अपनी पहचान को जोड़ते हैं। जब वे सरकारी कार्यालयों में आवेदन करते हैं, पुलिस में रपट लिखाते हैं या सरकारी योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं तो वे अपने लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्हीं राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग जब बहुजन समाज पार्टी या ऐसे ही अन्य राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन की रैली इत्यादि में जाते हैं तो वे अपने लिए दलित या बहुजन शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अनुसूचित सामाजिक समूह का एक ही व्यक्ति एक साथ अनेक अस्मिताओं को लेकर चलता है, जिनका वह वक्त और संदर्भ के हिसाब से अलग-अलग इस्तेमाल करता है। कांशीराम अपने राजनीतिक संदर्भ में दलित शब्द का प्रयोग कम से कम करते थे। इसके बजाय वह बहुजन शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। बहुजन शब्द दलित शब्द से भी ज्यादा व्यापक है। इसके दायरे में सामाजिक समूहों को छोड़कर सभी आ जाते हैं। कांशीराम का तो यहां तक मानना था कि ब्राह्मणों में गैर मनुवादी सामाजिक व्यवहार में विश्वास करने वाले लोग बहुजन कोटि में आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग का आधार उनका यही विश्वास था। इसी कारण उत्तर प्रदेश के पिछले कई चुनावों में ब्राताण एवं अन्य ऊंची जातियों ने भी बसपा का समर्थन किया। बहुजन बुद्धवादी विमर्श से उभरी शब्दावली है जो पहले महाराष्ट्र के दलित विमर्श की शब्दावली का हिस्सा बना। इसे बाद में कांशीराम ने उप्र एवं देश के अन्य भागों में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया। कांशीराम की तरह मायावती ने भी दलित शब्द का इस्तेमाल कम से कम किया है। बिहार के तमाम गांवों में आज भी अनुसूचित सामाजिक समूह के लोग अपनी पहचान के लिए अक्सर हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने अनुसूचित सामाजिक समूह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ सामाजिक शोधकर्ताओं का मानना है कि आधार तल पर और ग्रामीण अंचलों में आज भी अनुसूचित जाति के लोग दलित से ज्यादा हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दलित विमर्श में हरिजन शब्द को नकारात्मक अर्थ और प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रश्न उठता है कि एससी शब्द से उपेक्षित समूहों की कैसी अस्मिता निर्मित होती है और उनकी इस अस्मिता पर क्या असर पड़ता है? एक सवाल यह भी है कि राज्य के प्रयोजन एवं सामाजिक समरसता के निर्माण में इसके क्या परिणाम होंगे? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एससी शब्द के प्रयोग से अनुसूचित जाति समूहों की आक्रामक अस्मिता प्रभावित होगी। यह अस्मिता सक्रिय अस्मिता से धीरे-धीरे निष्क्रिय अस्मिता में बदल सकती है। तब इस अस्मिता की अपने हक एवं हकूक के लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता भी प्रभावित होगी। ऐसे में अनेक उपेक्षित समूहों की अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने की क्षमता प्रभावित होगी। अनुसूचित समाज के बुद्धिजीवियों का यहां तक कहना है कि इससे हम धीरे-धीरे राज्याश्रित समूह में बदल जाएंगे। हालांकि राजसत्ता की चाहत भी तो यही होती है कि सत्ता से अपने हक के लिए टकराते रहने वाले सामाजिक समूह ऐसी अस्मिता में बदल जाएं जिससे सत्ता को उन्हें संयोजित करने में आसानी हो। राज्य की चाहत तो यही होगी कि ऐसी अस्मिताएं विकसित हों जो संविधानपरक संस्कृति के अनुरूप चलें। वे ऐसी हों जिन्हें आसानी से नियंत्रित एवं नियोजित किया जा सके और वे आपस में टकराती हुई अस्मिताओं का रूप न ले लें। आज यह कहना कठिन है कि रतीय समाज की एकबद्धता के निर्माण में अस्मिता निर्माण की राज्य निर्देशित प्रक्रिया कहां तक मददगार होती है, लेकिन अगर हमारे मीडिया विमर्श में दलित शब्द का प्रयोग घटेगा तो धीरे-धीरे इस शब्द से बनने वाली अस्मिता भी प्रभावित होगी। इसके साथ ही सामाजिक आंदोलनों एवं विचार-विमर्श द्वारा निर्मित अस्मिता कमजोर होगी। स्पष्ट है कि यह भविष्य बताएगा कि दलित के बजाय अनुसूचित जाति के इस्तेमाल से सामाजिक समरसता के निर्माण में क्या असर होगा?

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं)

***

क्या आपने कभी इन पश्चिमी philosophers को पढ़ा है

1.लियो टॉल्स्टॉय (1828 -1910): ''बुद्ध और उनका धर्म ही एक दिन दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है। जो समता और बन्धुत्व का मार्गदर्शन करता है''।

2. हर्बर्ट वेल्स (1846 - 1946): बुद्धिज्म का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत कितनी पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी और जीवन कट जाएगा । तभी एक दिन पूरी दुनिया बुद्ध और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाएगी, उसी दिन ही मानवता का असली विकास शुरू होगा और उसी दिन दुनिया आबाद होगी । प्रणाम हो उस दिन को। जब बुद्ध हँसेगा। और दिन दुनिया के सारे नकली भगवान् उनके चरणों में दिखाई देंगे।

3.अल्बर्ट आइंस्टीन (1879-1955): मैं समझता हूँ कि बुद्ध ही ने अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वह किया जो दुनिया का कोई भी खुद को भगवान् माननेवाले न कर सके। बोधिसत्व मे ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती वर्ना सारे धर्मो में उच्च नीच और काले गोरे का भेदभाव है। येशु के गुरु भी भगवान् बुद्ध थे। येशु ने 13 साल तक काश्मीर में रहकर बुद्ध धर्म को सीखा। और यूरोप में भगवान् को पुत्र कहकर बुद्ध की बाते जन जन तक पहुचाई। ये बात और है की। यूरोपीयन अब इस बात से इनकार करते है। पर सत्य यही है।

4. हस्टन स्मिथ (1919) : जिसने खुद पर विश्वास करना सिखाया है। वो बौद्ध धर्म है। वरना कई लोग धर्म पंडितो और पत्थर की मूर्तियो पर अंधविश्वास कर अन्धकार में भटकते रहे। इसलिए बौद्ध धर्म से सरल और शान्ति देने वाला दुनिया में बेहतर कोई धर्म ही नहीं है। जो भी दुनिया में है तो वो बुद्धिज्म है। जिसे लाइट ऑफ आशिया कहा जाता है । अगर हम अपना दिल और दिमाग इसके लिए खोलें तो उसमें हमारी ही भलाई होगी। वरना अंधकार में भटकते रह जाओगे जैसे आज भी भारतीय अन्धकार में भटक रहे है। और बुद्ध का ज्ञान लेकर चाइना जापान और यूरोप आगे बढ़ रहा है।

5.माइकल नोस्टरैडैमस (1503-1566) : बौद्ध धर्म ही यूरोप में शासक धर्म बन जाता। खुद को बुद्ध के पुत्र कहलानेवाले येशु जो बुद्ध धर्म का ज्ञान लेकर यूरोप आये थे। उन्हें सूली पर न चढ़ाया जाता। तो एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप का हर प्रसिद्ध शहर बौद्ध धर्म की राजधानी बन जाता। पर बुद्ध का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ। अब तक आधी दुनिया बौद्धमय हो गई है।

6. बर्ट्रेंड रसेल (1872-1970): मैंने बुद्ध और बुद्धिज्म को पढ़ा और जान लिया कि यह सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म बनने के लिए है। बुद्ध धर्म पूरे यूरोप में फैल जाएगा और यूरोप में बौद्ध को दुनिया के सामने लाने वाले बड़े विचारक सामने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बुद्ध धर्म ही दुनिया की वास्तविक उत्तेजना का केंद्र होगा।

7. गोस्टा लोबोन (1841 - 1931) : बुद्ध ही सुलह और सुधार की बात करता है। सुलह और सुधार ही के विश्वास की सराहना के लिये दुनिया सभी लोगो को बौद्ध धर्म में आमंत्रित करता हूँ।

8. बरनार्ड शा (1856-1950) : सारी दुनिया एक दिन बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी। अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार नहीं भी कर सकी तो रुपक नाम से ही स्वीकार कर लेगी। पश्चिम एक दिन बुद्धिज्म स्वीकार कर लेगा और बुद्ध धर्म ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा। जो आज विकास का धर्म बना है। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म है। जो व्यक्ति को विज्ञान सिखाता है। न की अंधविश्वास में रखकर मानवता को सरेआम घायल करता है। बौद्ध धर्म में नारी और नर एक समान है। बौद्ध धर्म में तो पशुओ तक को प्रेम से रखने की शिक्षा दी जाती है।

9. जोहान गीय (1749 - 1832) : हम सभी को अभी या बाद मे बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही होगा। यही दुनिया का असली धर्म है। मुझे कोई बुद्धिस्ट कहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं यह सही बात को स्वीकार करता हूँ।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

हरियाणा के राखीगढ़ी में मिला 4500 साल पुराना कंकाल, क्ख। टेस्ट में 'आर्य जीन– R1a1' नदारद

क्या राखीगढ़ी के रहस्य इतिहास बदल देंगे

संचिता दास, राखीगढ़ी

हड़प्पा की सभ्यता के प्रमुख स्थानों में से एक हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले 4500 साल पुराने कंकाल के डीएनए टेस्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कारण यह है कि इसके डीएनए में R1a1 यानी आर्य जीन नहीं पाया गया। हालांकि, इस मुद्दे पर अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है लेकिन शोधकर्ताओं में निष्कर्षों को लेकर बहस जारी है। इसी वजह से अध्ययन के प्रकाशन में देरी भी हो रही है। इतिहास को नए सिरे से लिखने की तैयारी कर रही बीजेपी सरकार भी इस रिपोर्ट से असमंजस में बताई जा रही है। पुणे के डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर डॉ. वीएस शिंदे की टीम ने 2013 में एक खास कंकाल पाया था। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के ऐनशिअंट डीएनए लैब के प्रमुख डॉ. नीरज राय भी काम कर रहे थे। कंकाल के डीएनए सैंपल निओलिथिक ईरानी किसानों के सैंपल से मैच करते हुए मिले। साथ ही उसमें एनसेस्ट्रल साउथ इंडियन (ASI) जीनोम का भी एक हिस्सा पाया गया।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में डॉ. डेविड रीश की देखरेख में डीएनए सैंपल की जांच कराई गई थी। इसमें भी नतीजों की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि एएसआई को ईरानी किसानों और स्थानीय द्रविड़ जातियों का मिश्रण माना जाता है। कंकाल के डीएनए सैंपल का तमिलनाडु के नीलगिरी की इरुला आदिवासियों के डीएनए से भी सामंजस्य दिखा।

उत्तर और दक्षिण भारतीय नस्ल

देश में दो तरह की नस्लें पाई जाती रही हैं। दक्षिण भारतीय पूर्वज और उत्तर भारतीय पूर्वज। उत्तर भारतीयों को मिश्रित प्रजाति माना जाता है, जिनमें 'R1a1 हैप्लोग्रुप' की मजबूत मौजूदगी पाई जाती है। देश में इस जीन का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। इसी जीन की उस कंकाल के डीएनए से गैरमौजूदगी के चलते बहस छिड़ी कि क्या वाकई आर्य यहां के मूल निवासी थे? अब तक के शोधों के मुताबिक आर्यों को भारत का मूल निवासी माना जाता है, जो बाद में यूरेशिया की तरफ चले गए थे। नतीजों से आर्यों के भारत पर आक्रमण करने के दावों को भी बल मिलेगा। हालांकि डॉ. शिंदे कहते हैं कि इस जांच से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगले साल बड़े पैमाने पर सैंपलों की जांच कराई जाएगी, जिसमें गुजरात और राजस्थान की हड़प्पा साइट से मिले सैंपल को भी शामिल करेंगे।

डॉ. शिंदे ने बताया, 2006 से हम कंकाल इकट्ठे कर रहे हैं। हरियाणा के फरमाना खास इलाके में 70 जगहों का हमने पता लगाया, जहां कंकाल दबे हो सकते हैं। 2006 से 2011 के दौरान हमें काफी कुछ मिला। यहां की मिट्टी में एसिड और नमी की मात्रा अधिक होने से कंकालों के डीएनए के खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है। डॉ. शिंदे ने बताया कि दक्षिण कोरिया की मेडिकल कॉलेज ऑफ सोल नैशनल यूनिवर्सिटी की टीम भी सहयोग कर रही है।

1986 से जुटे हैं डॉ. शिंदे

डॉ. शिंदे हड़प्पा सभ्यता के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने 1986–87 से इस सभ्यता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए खुदाई अभियान छेड़ रखा है। पहले उन्होंने गुजरात में दो जगहों पर खुदाई कराई। फिर 10 साल राजस्थान की दो साइट्स पर खुदाई कराई और अंततरू फरमाना पहुंचे। हड़प्पा सभ्यता पर अब तक डॉ. शिंदे 25 से 30 पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन सभ्यताओं से जुड़ी ऐतिहासिक जगहों को संरक्षित रखने पर भी काम करते हैं। वह फिलहाल हरियाणा सरकार के साथ इन साइट्स के टूरिजम प्लान पर काम कर रहे हैं। फरवरी 2017 में डॉ. शिंदे उस विशेषज्ञ समूह में भी शामिल थे जिसे सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो साइट को संरक्षित रखने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था।

सिंधु घाटी की सभ्यता

सिंधु घाटी की सभ्यता को 2500 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान का माना जाता है। 1500 से 500 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग कहा जाता है। हड़प्पा वासियों के दक्षिण भारत की तरफ पलायन से पहले तक ईरान के किसान भी इसका हिस्सा थे। मध्य एशियाई लोगों के यहां के मूल निवासियों के साथ मिश्रण का दौर 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, जिसके नतीजतन उत्तर भारतीय पूर्वज विकसित हुए।

– दैनिक नवभारत टाईम्स से साभार

***

दलित शब्द को लेकर देश में छिड़ी है बहस, जानें कहां से शुरू हुआ यह शब्द

नई दिल्ली। मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चौनलों को एडवाइज़री जारी कर दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने दलित की बजाय अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करने को कहा है। इसके बाद से ही दलित शब्द के इस्तेमाल के पक्ष और विपक्ष में देशभर में चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि क्या दलित की जगह किसी और शब्द के इस्तेमाल करने से स्थिति बदल जाएगी? बहरहाल, हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि देश में दलित शब्द का प्रचलन कैसे हुआ। यह शब्द कहां से शुरू हुआ। 'दलित' शब्द दरअसल लोकभाषा के शब्द दरिद्र से बना है। इसे दमन या शोषण के साथ भी जोड़ा जाता है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है– दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण–उत्पीडन हुआ है। मगर, अब इसकी परिभाषा बदल गई है और दलित शब्द का इस्तेमाल उन सभी जाति के लोग करने लगे हैं, जिन्हें वर्षो से छुआ–छूत का सामना करना पड़ा है।

राष्ट्रकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1929 में लिखी एक कविता (दलित जन पर करो करुणा। दीनता पर उतर आये प्रभु, तुम्हारी शक्ति वरुणा।) में 'दलित' शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी यह तो पता चलता है कि उस समय भी यह शब्द प्रचलन में था। हालांकि, उस समय भी ज्यादातर लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। लंबे समय से ये शब्द इस्तेमाल में रहा है, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दलित पैंथर्स को जाता है। उन्होंने 1972 में अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स की तर्ज पर दलित पैंथर्स मुंबई नाम का संगठन बनाया, जिसने आगे चलकर आंदोलन का रुप लिया और इस शब्द को लोगों तक पहुंचाया। वहीं, उत्तर भारत में दलित शब्द को कांशीराम ने प्रचलित किया। उन्होंने DS4 का नारा दिया– जिसका अर्थ था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका गठन कांशीराम ने किया था और महाराष्ट्र के बाद उत्तर भारत में अब पिछड़ों और अति–पिछड़ों को दलित कहा जाने लगा था।

अंबेडकर दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लास शब्द का ही इस्तेमाल करते थे। वहीं, अंग्रेज भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। अगर महात्मा गांधी की बात करें, तो उन्होंने दलितों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा था। हालांकि, तब भी लोगों ने इस शब्द का विरोध किया था और बीएसपी की स्थापना के शुरुआती दिनों में कांशीराम ने तो यहां तक कहकर इस शब्द को खारिज कर दिया था कि यदि हम ईश्वर की संतानें हैं, तो क्या अन्य हिंदू शैतान की औलादें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी अफसर जेजे मोल्सवर्थ ने 1831 में एक मराठा–इंग्लिश डिक्शनरी में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दलित उद्धारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसका इस्तेमाल किया था और फिर ब्रिटिश सरकार ने इसका उल्लेख किया। दलित शब्द संस्कृत के दल शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अलग होना, टूटना, कटना। माना जाता है कि महाराष्ट्र में ज्योतिबाफूले ने सत्य शोधक समाज नाम के गैर–ब्राह्मण आंदोलन के जरिये इस शब्द को आगे बढ़ाया। इससे पहले दलितों को अछूत कहा जाता था।

https://naidunia.jagran.com/national-dalits-and-the-origin-of-untouchability-in-india-center-govt-has-advised-to-avoid-use-of-this-word-2553286

***

चार साल बेमिसाल - एस.सी.,एस.टी को फ्री स्टॉल

4 साल बेमिसाल एवं दिवाली उत्सव जो 26 से 28 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित किया जा रहा है, में सभी प्रमुख सरकारी विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगायी जा रही है, जिसमें बड़े-छोटे सभी व्यवसायी अपने-अपने उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए स्टॉल लगा रहे हैं। अनुसूचित जाति व जन जाति वर्ग में पहले तो उद्यमी ही कम हैं, कुछ हैं भी तो उन्हें अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसीलिए डॉ. उदित राज जी के निजी प्रयास से इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिना कुछ खर्च किए उन्हें अपने कारोबार अथवा उत्पाद को प्रोत्साहित करने का अवसर मिल रहा है। इसमें टेबल, चेयर, बिजली इत्यादि का भी कोई शुल्क नहीं देना है। उपरोक्त कार्यक्रम में जो भी अनुसूचित जाति व जन जाति वर्ग के लोग अपना कारोबार या उत्पादन कर रहें हैं, उन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.) के सहयोग से निःशुल्क स्टॉल की व्यवस्था की जा रहा है। जो भी स्टॉल लेने के इच्छुक हैं, नजदीकी एन.एस.आई.सी. सेंटर में सम्पर्क करें।

सी.एल. मौर्य, मो. 9899766882.

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु एवं दलित आत्याचारों के विरोध में

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018

(सोमवार) सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गीरीश चन्द्रा पायरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यवान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह घारु, रोहित सोनकर (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, पंचम राम, विश्राम मीना, एम. एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्टा राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्राता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर डोस (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी.सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र विश्वास (त्रिपुरा)

पताचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

लोहिया और जेपी चाहते थे कि जम्मू–कश्मीर में लोकतंत्र की हिफाजत पूरा देश करे

समाजवादी विचार से सुलझेगी गुत्थी

के. सी. त्यागी

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से जुड़ा अनुच्छेद 35–ए जम्मू–कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है

संविधान के अनुच्छेद 35–ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित हो जाने के बाद इस मुद्दे पर क्षणिक शांति जरूर है, लेकिन विवादों का बाजार अब भी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने कश्मीर की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। 4 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित एक आदेश के जरिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 35–ए जम्मू कश्मीर सरकार और विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसके तहत दोनों को आजादी के बाद अन्य जगहों से आए शरणार्थियों तथा नागरिकों के बारे में जरूरी निर्णय करने का भी अधिकार है। सन् 1957 में जम्मू–कश्मीर का संविधान बनने के बाद 14 मई 1954 को आधार वर्ष मानकर स्थायी नागरिकता का पैमाना तय किया गया। इस तरह जो व्यक्ति 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो, या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, या इससे पहले या इसके दौरान वहां संपत्ति हासिल कर रखी हो, उसे राज्य का नागरिक माना गया।

धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण

धारा 370 की आत्मा माने जाने वाला यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू–कश्मीर में न तो अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार देता है और न ही वहां की स्थायी नागरिकता का। राज्य की कोई महिला यदि किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करती है तो उसे इस अनुच्छेद के तहत अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान भी है। चार साल पहले एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका में इसे असंवैधानिक बताते हुए इसके निरस्तीकरण की निरंतर कोशिशों से न केवल जम्मू–कश्मीर के नागरिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ बल्कि यह मुद्दा राजनीतिक दलों का औजार भी बना हुआ है। कश्मीर रियासत के सदर राजा हरि सिंह स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य के पक्षधर थे इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल के अथक प्रयासों के बावजूद भारतीय संघ में विलय करने से इनकार कर भारत और पाकिस्तान दोनों के समक्ष एक छह सूत्रीय कार्यक्रम रख दिया। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर भारत के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा कर दी।

पाकिस्तान की बदनीयती ने मामले को और उलझा दिया। घुसपैठिए कबाइलियों द्वारा कश्मीर के बड़े हिस्से पर हमला करने से हालात बिगड़ गए। तब दोनों फौजों के जनरल अंग्रेज थे इसलिए राजनयिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। तब जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के संयुक्त प्रयासों से राजा हरि सिंह भारत में जम्मू–कश्मीर का विलय करने को तैयार हुए, जिसके बाद शेख अब्दुल्ला को वजीरे आजम बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में जम्मू–कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर अनुच्छेद 370 जैसी सहूलियतें दी गईं जिनका देश की कई राजनीति धाराओं ने विरोध किया। बीजेपी (तब जनसंघ) जैसी पार्टियां जहां इसके सख्त खिलाफ थीं, वहीं कांग्रेस इसे लेकर दुविधा में रही। समाजवादी आंदोलन के दोनों पुरोधा डॉ. लोहिया और जेपी धारा 370 को कमजोर करने की कवायद और शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का हमेशा विरोध करते रहे।

कश्मीर को जेपी हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्य का एक बेहतरीन उदाहरण मानते थे। उनका कहना था कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। शेख अब्दुल्ला को चुनाव से बाहर रखने का उन्होंने जमकर विरोध किया था। शेख की गिरफ्तारी के बाद जेपी निरंतर उनकी रिहाई की कोशिश में थे। उन्होंने इसके लिए इंदिरा गांधी को पत्र भी लिखे थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा था–'शेख अब्दुल्ला को उन पर लगे आरोपों के खिलाफ खुद को बेदाग साबित करने का अवसर दिए बगैर कैद करना न्यायसंगत नहीं था।' चुनावी अनियमितताओं का जिक्र करते उन्होंने 1 फरवरी 1972 को एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में लिखा–'पिछले दस महीनों से हम खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र और बांग्लादेश में मानवाधिकार के रक्षक के रूप में प्रचारित कर रहे हैं लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या कहेंगे, जब हम खुद अपने एक राज्य के नागरिकों को उन्हीं अधिकारों से वंचित कर रहे हैं ?'

उनके प्रयासों से ही 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ। इस घटना ने वर्षों से मुख्यधारा की राजनीति से दूर शेख अब्दुल्ला को पुनः जम्मू कश्मीर और देश की राजनीति में स्थापित करने का काम किया। 1975 में उन्होंने जम्मू–कश्मीर की सरकार संभाली। फिर उन्होंने श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखकर कहा कि 'सुनियोजित ढंग से मुझे 1957, 1962, 1967 तथा 1972 के विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों से दूर किया गया। निश्चित रूप से यह एक विचार को चुनाव और प्रभावी विपक्ष से दूर रखने की कोशिश थी, जिससे स्थानीय नागरिकों में असंतोष पैदा हुआ।' शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद दिल्ली की सरकार का रवैया एक बार फिर से बदल गया और 1982 में फारूक अब्दुल्ला की निर्वाचित सरकार को निरस्त कर गुलाम मो. शाह की कठपुतली सरकार स्थापित की गई। इस प्रकरण ने भी वहां असंतोष बढ़ाने का काम किया।

बिगड़े हुए हालात इस तरह स्पष्ट है कि जम्मू–कश्मीर का मुद्दा शुरू से विवादों के घेरे में रहा और आज भी वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं। आए दिन घुसपैठ व 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे तथा आईएसआईएस की उपस्थिति परेशान करती हैं। अलगाववाद के स्वर कमजोर नहीं पड़ रहे। सरकारों की अदला–बदली से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में शेख अब्दुल्ला का वह संकल्प हमेशा याद आता है जब उन्होंने धर्मशासित राज्य पाकिस्तान को नकार कर गांधी के हिंदुस्तान को अपनाया था। कश्मीर हमारी धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा नमूना है। दशकों लंबी इस समस्या को सुलझाने में आज भी समाजवादियों के विचार प्रासंगिक है। लोहिया, जेपी ने जो विचार उस समय कश्मीर को लेकर व्यक्त किए, उनके जरिए ही वहां अमन–चौन कायम हो सकता है।

(लेखक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

***

On liberty

Tomorrow's India needs a new Charter of Freedom. Does Congress have the courage to sign on to it?

Written by Pratap Bhanu Mehta

There may be growing discontent with the Narendra Modi government. The Opposition is still far from fully capitalising on it. It will have to do several things: Project unity, craft an alternative programme and get the organisational act in order. But one thing that the Congress party needs to do is to liberate itself from important elements of its own recent past. A good place to start would be by asking a simple question: Is the party that battled for India's freedom ready to bat for maximum protections for individual freedom that a liberal democracy should afford? Will the Congress, to differentiate itself from the BJP in legal and institutional terms, sign on to a new Charter of Freedom that provides more safeguards to individuals than the Congress has historically provided. Just think of the range of laws that exist on our books that are a scandal for a liberal democracy: Sedition laws, the Unlawful Activities (Prevention) Act, anti conversion laws, the Armed Forces Special Powers Act, laws restricting freedom of expression including criminal defamation, cow protection laws that give invasive powers to the state. This list could go on. These laws require to be repealed, or at any rate, need massively more safeguards than they currently provide.

One can also pick laws from several other areas. These laws are also undergirded by institutions like the police whose functioning needs radical reform. Whenever these laws are used by the state, parties protest on a case by case basis, reminding us what is wrong with these laws in the first place; they give the state too much right to withhold our liberty or grant it to us as an act of noblesse oblige. There are other significant differences between the Congress and the BJP. But it bears repeating that the most chilling fact is that the BJP has not really needed to invent any new laws to facilitate state control, when it wants. If anything, irony of ironies, in places like the Northeast, it has positioned itself by tempering laws like AFSPA. At this juncture in India's history, it is bad faith to say, we will comment on a case by case basis when it suits us, but will leave the legal structure of state interdiction intact.

This, for example, is exactly what is happening in the recent use of UAPA against lawyers and activists. Why is it important for the Congress to propose a new Charter of Freedom, and articulate it in institutional terms? First, it will be a decisive signal that the Congress has learnt from its mistakes, and is willing to shed the burden of the past. Perhaps it was the exigencies of Partition, but the fact is that the Congress became unconscionably statist when it came to civil liberties. It started with the debate over the First Amendment where Jawaharlal Nehru was on the wrong side of history. The Congress needs to come clean if it is to be a more effective critic of authoritarianism. This does not just apply to civil liberties. It also applies to a whole range of other institutional spaces. Anyone minimally acquainted with the history of higher education, for example, still cannot, with a straight face, accept the Congress' protestations over university autonomy.

Second, the Congress and Rahul Gandhi are misdiagnosing why they are struggling. The problem is not that they were perceived to be anti-Hindu. The problem was two-fold. They could not consistently apply an individual rights standard across communities and ended up making rights a competition between communities. But the deeper problem was the real lack of courage when it comes to defending civil liberties. Rahul Gandhi's main challenge in projecting leadership is not personal niceness or generosity. He also does not have a record of governance, as a minister or chief minister. He needs recourse to positions that can show that he has courage, the ability to lead from the front rather than to follow. But even with newly acquired energy, that element of leading from the front still remains an open question. Has the inner working of the party really been reformed? If the party showed courage and categorically came out in favour of a new Charter of Freedom, it would show a courage of conviction. It would speak to young people, powerfully. The Punjab "blasphemy" law episode is disconcerting precisely for this reason: Not only is the Congress not batting for freedom and creating a dangerous precedent, it also casts doubt on Rahul Gandhi's ability to bend the party towards the arc of liberty, if liberty is understood in institutional terms. It is one thing to shed an anti-Hindu image; it is quite another to cave in to those who want to coddle religion, and that line is still not bright enough in the Congress party. Third, one of the worries about what a second term for Narendra Modi might mean is articulated in terms on what it might mean for institutions. So, part of a counter has to be that the Opposition is ready for a new institutional narrative. It will not let a politics of fear legitimise statism that puts personal liberty at risk.It is ready to say: Minimum government, maximum governance, as currently used, is a hollow slogan. If minimum government means anything, it means the most in areas of personal and civil liberty. The Supreme Court has struck a resounding blow on behalf of freedom in Navtej Johar, and it is to the Congress' credit that it has welcomed the judgement, and not hidden behind the evasions and silences of the ruling party. But the broader defence of personal liberty, the freedom to speak, the freedom to choose one's religion, what one eats, the freedom to protest, protection against detention without being charged for up to six months, all require more robust legal protections.

They also require, if they are to be credible, better police and courts, whose due processes can make a mockery of the best laws. It is also a mistake to think that a strong legal system and better policing are only elite issues. Quite the contrary, the poor face the greatest brunt of their dysfunction. More than shibboleths on Nehru and Gandhi, the India of tomorrow requires a new Charter of Freedom. Will any party serve the cause of justice by trying to occupy that space?

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/on-liberty-bjp-congress-2019-elections-5351307/

Dalit word = unity, struggle & inspiration

The information and broadcasting ministry has issued guideline to the press advising not to use "dalit" word to connote Schedule Castes. The said controversy has erupted which of the nature of non-productive. The several such controversies have become order of the day ever since judiciary has transgressed it's jurisdiction. What was the need of judicial activism about it and it should be left to legislatures and executives if at all there was such demands. A tiny number of Dalits sometime express that Dalit word should be avoided and in other than them a small number is of same wavelength, however, it is not of their much interest. For everything there is no absolute unanimity. The words connote the objects but in the context of caste it is not applicable, e.g. , even if most beautiful and decorative word is used for Dalits, the moment one utters this , the feeling of upfront person will be same as it was with old name. There was a time when the "Bhangi" word was despised and it was negated and new connotation "Valmiki" was coined. Now the moment one introduces himself as a "Valmiki" the same image is drawn in others mind as it used to be. In sociology term it is known as a process of "Sanskritization". In place of "Chamaar" and "Chuhada" new terminology "Jatav" and "Valmiki" was adopted but the ground reality remain the same. There is competition among Dalits and OBCs to get sanskritized, but old identity remains intact. One can settle out of India but caste will migrate with him and it lasts till death . Indians migrated out are not free from caste feelings and recent studies , "Caste in the United States," finds that caste discrimination is playing out in the United States as well . The survey, which is the first of its kind, was commissioned by Equality Labs, a South Asian American human rights startup, and includes the experiences of about 1200 people who volunteered their answers. The report on the survey's results said that two-thirds of members of the lowest caste, called Dalits, said they have faced workplace discrimination due to their caste. Forty-one percent have experienced discrimination in education because of it. And a quarter of Dalits say they've faced physical assault — all in the United States

In the constitution , the concept of Schedule Caste is used but in day to day life it is "Dalit" word which is in vogue. The word Schedule Castes connotes a bunch of castes and this phenomenon is known as a Dalit. Some hold the view that why should they themselves feel inferior? When Dalit word got started in the use there is no definite time and space. Of course, origin is always obscure. Whatever the name Dalits adopt the mindset of other will be the same. There was a time when Africans were called "Blacks "which was derogatory and humiliating but with the time and space, the consciousness arose and they themselves started celebrating it like "Black is

Beautiful". The sufferings of dalits are old and acute as compared to Africans and yet awareness level of Dalit has not reached to that level as in the case of Blacks. Supposing the use of the word "Dalit" is not allowed , their plights will remain the same rather it wil harm them. The word Dalit connotes symbol, anger, struggle and unity. There is a powerful Dalit literature and word is found in researches , policies and programs and all over . This word is not only used in politics but in writings and journalism and now it is a household name. Dalits are compensated by way of reservation in govts jobs and education etc..This concept has become way of life and supposing its use is scrapped how can one communicate about any caste and we have long list of sub-castes which run in thousands. If any injustice is done to a particular caste of Dalit in Kerala, through news paper and news channel it will be difficult to communicate in delhi or other states which caste he belongs because any sub-caste has a geographical limitation. By discarding the use of dalit word , the circumstances are not going to be different. Supposing a Brahmin (Shukla) is addressed with name like Bhangi or pasi , the same terminology "Bhangi "will become dignity and empowering.

Dalits and OBCs are caught in the whirlpool to get their names Sanskritized, but they must know that it will not help them .On the contrary, each caste should use it's non-sanskritized name which will ensure confidence, unity and struggle. It is empirical that the people who openly use their caste like Paasi or dhobi and khatik , the upfront person of upper caste gets demoralised and starts looking hither and thither . Why the so called upper caste get shock with such introduction like Ahir, Gadaeria, Kumhaar? If said with confidence. It is open to experiment but only confident person has to do it . The use of Dalit word is not limited to India but has become global. There is no substitute of Dalit word. It's our cultural heritage that we believe in goody goody , not in dissection. The boil in the body filled with the pus cannot be cured by applying the oint but it needs surgery. Why and how have they been discriminated and exploited , it needs to be studied in the depth so that other than Dalits can know the cause for reservation and positive discrimination in their favour. If there is heart burning and jealousy in other sections of society by seeing the preference given to Dalits, it is also due to ignorance about their past sufferings. Word is not reality but fact . Dalits should follow the footsteps of Africans.

***

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Confederation Rally

3rd December 2018
Ramlila Maidan, New Delhi

The Mega rally of All India Confederation of SC/ST Organization (Parisangh) has been finalized for 3rd December 2018 at 10 AM at the Ramlila Maidan, New Delhi (Near New Delhi railway Station) on the issue of Reservation and other matters related to SC/ST. If after the increasing atrocities against the SC/STs we still remain quiet, then nobody can save our rights. The reason behind such atrocities can also be like our test of patience. All the stakeholder are requested to start preparing for this rally and make it successful. All India Confederation of SC/ST will provide all the related promotion material and instructions via **"Voice of Buddha"** and other means. All those travelling via train shall make their reservations immediately. All State Presidents of those states whose state level meetings have not been conducted shall organize such meeting immediately. Where ever required, I will also attend the same.

To stay updated about the news of this rally, like the facebook page at **www.facebook.com/aiparisangh**, follow us on twitter **@aiparisangh** and youtube at **"aiparisangh"** and vist our website at **www.aiparisangh.com**. To get more information call Sumit at 9868978306.

Dr.Udit Raj, (Ex. IRS) National Chairman

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 20 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 September, 2018

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

For Reservation in Promotion & Pvt. Sector & against the Dalit Atrocities

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

RALLY

03rd December, 2018

Monday, at 10 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Join in large number to make the Rally successful

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhmar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj, Rajen Hijam, Samuel Massey, Aditya Kumar Naveen (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP), Siddharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble (Maharashtra), S.P. Jarawata, Vishwanath, Satyawan Bhatia, Mahasingh Bhurania, (Haryana), Tarshem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Maniram Badgurjar, Pancham Ram, Vishram Meena, M. L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Alekh Malik, D.K Behera (Orissa), Paramhans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palteti Penta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve (Ch.), P. Bala, Sadan Naskar, Subrata Batul (West Bengal) Madhusudan Kumar, Welfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thippesh, P.Sankara Doss (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfore, Jai Karan (Assam) , C.B. Subba (Sikkim) , Prakash Chandra Biswas (Tripura)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar

मुझे जाति व्यवस्था से नफरत

***

Confederation Rally

3rd December 2018
Ramlila Maidan, New Delhi

The Mega rally of All India Confederation of SC/ST Organization (Parisangh) has been finalized for 3rd December 2018 at 10 AM at the Ramlila Maidan, New Delhi (Near New Delhi railway Station) on the issue of Reservation and other matters related to SC/ST. If after the increasing atrocities against the SC/STs we still remain quiet, then nobody can save our rights. The reason behind such atrocities can also be like our test of patience. All the stakeholder are requested to start preparing for this rally and make it successful. All India Confederation of SC/ST will provide all the related promotion material and instructions via **"Voice of Buddha"** and other means. All those travelling via train shall make their reservations immediately. All State Presidents of those states whose state level meetings have not been conducted shall organize such meeting immediately. Where ever required, I will also attend the same.

To stay updated about the news of this rally, like the facebook page at **www.facebook.com/aiparisangh**, follow us on twitter **@aiparisangh** and youtube at **"aiparisangh"** and vist our website at **www.aiparisangh.com**. To get more information call Sumit at 9868978306.

Dr.Udit Raj, (Ex. IRS) National Chairman

AIParisangh AIParisangh 9899766443 parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

का नाम याद है, हालांकि 1941 के बाद मेरा उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है। आंबेडकर के कथन के संबंध में जब मैने अपने पिता से बात सुनी थी, तो मुझे अपने बचपन के मित्रों का ख्याल आया। कोई ऐसा तर्क नहीं हो सकता था, जिसके आधार पर उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाय या अन्य लोगों और उनके बीच कोई अन्तर हो। मुझे एक महिला की भी याद आती हैं, जिनके पैरों को लकवा मार गया था। उनकी झोपड़ी हमारे घर के पास थी। स्कूल से आने के बाद कभी-कभी शाम को मैं उनके घर जाता था और उनसे मलयालम कविताएं सुनता था। मैं उनकी जाति नहीं जानता हूं, लेकिन वे जरूर या तो दलित या गैर-दलित 'निम्न जाति' की रही होंगी। यह सभी स्मृतियां मेरे भीतर समाहित हो गई थीं, इन्होंने मेरे लिए यह असंभव बना दिया था कि मैं छुआछूत या समाज में जाति आधारित भेदभावों को स्वीकार करूं।

इस दौरान मैं नियमित तौर पर कौमुदी पढ़ता था। यह एक दैनिक अखबार था। यह त्रावणकोर का पहला अखबार था, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने निकाला था जिनका उस समुदाय से संबंध था, जो समुदाय अपने प्रयासों से अभी-अभी जाति की दासता से उबरा था। जिस व्यक्ति ने यह अखबार निकाला था, उनका नाम के. सुकुमारन था। वे इजावा समुदाय के विलक्षण बौद्धिक नेता थे। केरल कौमुदी के संपादकीय पन्ने पर प्रतिदिन नारायण गुरू का एक कथन निकलता था। इनमें से कुछ कथन मुझे आज भी याद हैंः

"इंसान की एक जाति, एक धर्म, एक भगवान"

"जो भी धर्म हो, जरूरत इस बात की है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए"

नारायण गुरू के वचन और उस समय मैं उनके जीवन के बारे में जो कुछ जाना, यह सब वे अन्य विवेकानंद', वाल्यूम 3 रू 'लेक्चर फ्राम कोलंबो टू आलमोड़ा') में कहा :"भारत पर मुसलमानों की विजय पददलितों और गरीबों के लिए मुक्ति के रूप में आया। इसी के चलते हमारे लोगों का पांचवां हिस्सा मुसलमान बन गया। यह सब कुछ तलवार के दम पर नहीं हुआ था। यह सब कुछ तलवार और तोप के दम पर हुआ था, ऐसा सोचना पागलपन की हद है। और यदि आप सचेत नहीं होंगे तो मद्रास के लोगों का पांचवा हिस्सा इसाई बन जायेगा। जो मैने मालबार क्षेत्र में देखा, उतनी मूढ़तापूर्ण चीज क्या कभी दुनिया में इसके पहले रही हैं? गरीब पराया लोगों को उस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं थी, जिस रास्ते से होकर उंची जाति के लोग जाते थे, लेकिन यदि वही पराया लोग नाम बदल कर अंग्रेजी नाम होज-पोज कर लें तो वे उस रास्ते से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, या वे अपना मुसलमान नाम रख लें, तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, वे आराम से उस रास्ते से जा सकते हैं। यह स्थिति देख कर आप इस बात के अलावा क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि ये मलाबारी लोग पागल हैं, उनके घर बहुत सारे पागलों के अड्डे हैं, जब तक वे अपने व्यवहार को बदल नहीं लेते हैं और सभ्य व्यवहार नहीं करने लगते हैं, तबतक भारत में रहने वाली प्रत्येक जाति को मलाबारी लोगों पर हंसने के अलावा क्या करना चाहिए। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की घृणास्पद और क्रूर प्रथा को अनुमति दलित/अनुसूचित जाति समुदाय है, मलाबार में ये लोग चेरूमन या चेरामान के रूप में जाने जाते हैं।

केरल में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला यह सबसे बड़ा समुदाय है। श्री अय्यंकाली नारायण गुरू से 10 वर्ष छोटे थे। इस संदर्भ में एक जनश्रुति प्रचलित है कि जब अय्यंकाली पहली बार नारायण गुरू से मिले, तो नारायण गुरू ने उनका नाम पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, "अय्यान, काली का बेटा"। उनका यह उत्तर सुनकर नारायण गुरू ने कहा, 'इसके बाद आपका नाम 'अय्यंकाली' होगा। यह नाम ज्यादा प्रभावशाली था। नारायण गुरू 'निम्न जाति' में पैदा हुए, बच्चों का नामकरण करते रहते थे, वे उनका ऐसा नाम रखते, जो ज्यादा प्रभावशाली हो। नामकरण की यह प्रक्रिया उन समुदायों के मनोबल और आत्मविश्वास को विकसित करने की उनकी एक साधारण पद्धति थी, जो समुदाय मनोबल हीनता और आत्मविश्वास की कमी के शिकार थे। उन दिनों घुरहू-निरही तरह के अनाकर्ष नाम 'निम्न जातियों' के लागू करने के लिए था, जिसके तहत 'अछूत' समुदाय के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन 'उच्च जातियों' के विरोध के चलते इसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। अय्यंकाली के नेतृत्व में कृषि मजदूरों की यह हड़ताल 'अछूतों' के बच्चों का स्कूलों में दाखिले को सुनिश्चित कराने के लिए थी, जिसके संदर्भ में पहले ही राजकीय आदेश जारी हो चुका था। इस राजकीय आदेश को लोकतांत्रिक भारत में वैधानिक आदेश से प्रतिस्थापित किया गया। राजकीय आदेश और व्यवहार में उसे लागू करने के बीच के अन्तर की तरह ही वैधानिक कानूनों और नीतियों तथा उन्हें व्यवहार में लागू करने के बीच अन्तर लोकतांत्रिक भारत में भी बना रहा, विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के मामले में। इस आंदोलन के परिणामों का अनुभव मैने स्कूल के दिनों में किया था। स्कूल और क०लेज स्तर पर हमारे कुछ ऐसे सहपाठी थे, जो इन समुदायों के थे। ऐसे सहपाठियों के साथ संबंध एक अन्य कारण था, जिसने मेरे लिए 'छुआछूत' और जाति आधारित भेदभाव को स्वीकार करना असंभव बना दिया।

एक अन्य घटना जिसने मुझे प्रभावित किया था, वह घटना थी, 1936 में उस समय महाराजा चितरा बलरामा वर्मा द्वारा मंदिर प्रवेश की घोषणा। इस घोषणा के माध्यम से महाराजा ने 'निम्न' जातियों या अवर्णो के ट्रावंकोर की रियासत के घोषणा का महात्मा गांधी और आंबेडकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस घोषणा की मूल बातों को विभिन्न भाषाओं में लकड़ी के बोर्ड पर लिखकर मुख्य रूप से मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लिख दिया गया। इन बोर्डो पर लिखा था, 'केवल उन्हीं लोगों को की प्रवेश की इजाजत है, जो जन्म या पेशे से हिंदू हैं'। हालांकि इसे नकारात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया था, लेकिन इसका सकारात्मक अर्थ यह था कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से या अपने विश्वासों के आधार पर हिंदू है, वह सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश के लिए स्वतंत्र है।

इन शुरूआती अनुभवों ने न केवल मुझे छुआछूत और जाति के खिलाफ खड़ा किया, बल्कि मुझे इस बारे में और अधिक पढ़ने एवं अध्ययन करने और सामाजिक परिघटनाओं का और अधिक निरीक्षण करने लायक बनाया । मैंने अपने विश्वासों को व्यवहार में उतारना भी शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण यह है कि मैंने विभिन्न समुदायों के अपने मित्रों को अपने घर खाने के लिए बुलाया। इन मित्रों में दलित समुदाय के मित्र भी शामिल थे। मेरे पिता को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। अपनी मां के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे प्रति अपने प्रेम और लगाव के चलते अपने परंपरागत विधि-निषेधों पर नियंत्रण किया और मेरे अनुरोध और समझाने-बुझाने पर किचन के सटे भोजनकक्ष में मेरे इन मित्रों को भोजन परोसा।

'छुआछूत' का विरोध जल्दी ही पूरी जाति व्यवस्था के विरोध में बदल गया। जाति व्यवस्था के विरोध की दिशा में इस प्रगति का प्रमाण एक घटना के रूप में सामने आया। हुआ यह कि मैं अपने से कुछ वर्ष बड़े एक मित्र के साथ तिरूअनन्तपुरम के पदनाभमस्वामी मंदिर गया था, मंदिर के पुजारी के पुजारी ने प्रसाद (प्रसादम) मेरे मित्र के हाथ में रखने देने की जगह, उसका प्रसाद उसे

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

मुझे जाति व्यवस्था से नफरत क्यों हुई : पी. एस. कृष्णन

इंसानों के किसी समुदाय को अछूत माना जाता है, यह तथ्य मुझे ड०. आंबेडकर के माध्यम से पता चला। श्रीनारायण गुरु और अय्यंकाली ने मुझे जाति विरोधी बनाया। विवेकानंद से जाति से नफरत करना सीखा। यह सब वासंती देवी के प्रश्न के जवाब में बता रहे हैं, पी.एस. कृष्णन :

वासंती देवी : आप भारत के सबसे तिरस्कृत, सबसे अधिक किनारे लगा दिए तबकों के हितों के लिए अनथक और बेमिसाल योद्धा रहे हैं। ये भारत के वे तबके हैं, जिनकी बुनियादी मानवीय गरिमा को शताब्दियों से भारतीय जाति व्यवस्था ने खारिज किया। आप ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, जो सामाजिक तौर पर सबसे अगड़ी जाति से संबंध रखती थी, लेकिन आपने अपने को पूरी तरह उन लोगों के साथ जोड़ लिया, जो जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर माने जाते हैं। आपने अपने भीतर कैसे इस तरह की आवेगात्मक प्रतिबद्धता विकसित की? किन चीजों का आपके आरंभिक जीवन पर प्रभाव पड़ा था, जिसने आपके परिप्रेक्ष्य और मिशन को रूपायित किया, जिसके लिए आपने अपने-आपको तैयार किया? आप केरल में पैदा हुए, आपकी पढ़ाई-लिखाई भी वहीं हुई। केरल सामाजिक सुधार आंदोलन के विविध रूपों के मेल का साक्षी है, यहां वामपंथी क्रान्तिकारी सुधार और प्रबुद्ध राजशाही की विरासत भी है। क्या केरल ने आपको रास्ता दिखाया?

पी.एस. कृष्णन : सामाजिक न्याय का प्रश्न दलितो/अनुसूचित जातियों (एससी), सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों (एसइडीबीसी/बीसी) और आदिवासी/अनुसूचित जातियों (एसटी) से जुड़ा रहा है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष मेरे जीवन के सुनहरे क्षण रहे हैं, यह संघर्ष मेरे पूरे जीवन के साथ जुड़ा रहा है। किशोर अवस्था से लेकर अब तक मैं इस संघर्ष से जुड़ा रहा हूं, इसमें मेरे 1956 में आईएएस बनने से लेकर 1990 के अंत तक का सेवाकाल शामिल है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या चीज मुझे सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने और इसे अपनाने की ओर ले गई, यह प्रश्न मुझसे कई बार अन्य लोगों ने भी आवेगपूर्ण तरीके से पूछा। सच्ची बात यह है कि मेरे मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए कहते रहे हैं। सितंबर 2015 से 2016 तक मैं गंभीर बीमारी का शिकार रहा, जब मैं बीमारी की इस स्थिति से उबरा तो श्री के. माधव राव (आंध्रप्रदेश कैडर में सीधी भर्ती से आईएएस बनने बाले तीसरे दलित व्यक्ति, जो मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए सेवानिवृत हुए) ने मुझे शिद्दत के साथ इस बात की याद दिलायी। उन्होंने आत्मकथा लिखने के संबंध में अपने बहुत पहले के अनुरोध को याद दिलाया और मुझसे आग्रह किया कि बिना समय गंवाये मुझे यह काम कर देना चाहिए।

के. माधव राव ने मेरे जीवन और कार्य को 'नायाब' कहा। अन्य मित्रों ने मेरे जीवन के बारे में अपनी राय रखी, जैसा मेरा शुरूआती जीवन था, जिस तरह से मैं प्रशासनिक सेवा में 1956 में आने से लेकर 1990 में सेवानिवृत्त होने तक काम किया। इन लोगों ने मेरे उन कामों को याद दिलाया जो मैंने दलितों और अन्य वंचित तबकों के लिए किया। उन कामों को याद दिलाया जिनके सुनिश्चित परिणाम आए और जिनका दलितों और अन्य वंचितों के लिए अत्यन्त महत्व है। इसमें वे काम भी शामिल थे, जिनके सुनिश्चित परिणाम नहीं आ पाए और जिनके लिए प्रयास करने की जरूरत बनी हुई है। इस संघर्ष के दौरान मुझे जिन कठिनाईयों और मुसीबतों से गुजरना पड़ा और जिन उत्पीड़नों का सामना करना पड़ा, वह सब सरकारी सेवा में काम करने वाले के साथ-साथ अन्य पेशों लोगों के लिए भी मददगार और दिशा-निर्देशक होगा, जिसमें सामाजिक कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं।

आत्मकथा लिखने के अपने मित्रों के पुरजोर आग्रहों और उनके द्वारा आत्मकथा की अहमियत को रेखांकित करने के बावजूद भी मेरे भीतर व्यक्ति केंद्रित आत्मकथा लिखने के संदर्भ में झिझक थी, विशेषकर उस तरीके जैसे कि आम तौर पर आत्मकथाएं लिखी जाती हैं। आप देश के शैक्षिक जगत की सबसे अनुभवी लोगों में एक हैं और आपके पास सामाजिक न्याय की एक अन्तर्दृष्टि है। आप ने इन प्रश्नों को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, जिस तरह आप ने

शेष पृष्ठ 3 पर

महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बातों को इसमें समाहित किया है, जिस तरह की इन प्रश्नों की अन्तर्वस्तु है और जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, इस सब ने मेरे भीतर की दुविधा को हल कर दिया। आपके प्रश्नों ने मुद्दों, घटनाओं और विषयों से जुड़े तथ्यों को याद करने को प्रेरित किया और इन चीजों के संदर्भ में ही एक सही परिप्रेक्ष्य के साथ व्यक्ति, व्यक्ति के जीवन कार्यों और जीवन को जगह दी गई है।

अपने जन्म के चलते मुझे 'छुआछूत' का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन छुआछूत का एहसास मुझे बिजली के झटके की तरह आंबेडकर के एक कथन से हुआ। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक सात भारतीय में एक भारतीय 'अछूत' है। आंबेडकर का यह कथन 'द टाइम्स अ०फ इंडिया' में छपा हुआ था। जब मैं उनके कथन से छुआछूत के बारे में जाना, तब मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष रही होगी, यह 1942 या 1943 की बात है। मैं उनके इस कथन का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं सकता था।

उन दिनों मैं अपने पिता के साथ प्रत्येक सुबह श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाया करता था। जब मुख्य मंदिर और सहायक मंदिरों की पूजा-आराधना का दौर समाप्त हो जाता था, तो मंदिर के अहातों में गलियारों से होकर एक लंबा चक्कर लगाते थे। इस तरह का चक्कर लगाने के दौरान मैं अपने पिता से विभिन्न सामाजिक विषयों पर बातें करता था। यह बहुत ही उथल-पुथल का समय था, इस समय को हम स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलनों के समय के रूप में जानते हैं। इन सामाजिक-क्रांतिकारी आंदोलनों में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन भी शामिल हैं। इन आंदोलनों से जुड़े मुद्दों में मेरी रूचि थी। 'द टाइम्स अ०फ इंडिया' में आंबेडकर के कथन के प्रकाशन के अगली सुबह मैंने अपने पिता से पूछा, "आंबेडकर कौन हैं और उन्होंने यह क्यों कहा कि प्रत्येक सात भारतीय में से एक भारतीय 'अछूत' है, और कैसे कोई भी 'अछूत' हो सकता है?

मेरे पिता ने बताया कि छुआछूत भारतीय समाज में मौजूद है। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे बिना लाग-लपेट के सच्चाई से अवगत कराया। उनसे यह सुनने के बाद कि जिन जातियों पर अमानवीय जीवन थोप दिया गया है, उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। मैंने उनसे पूछा क्या यह अन्याय नहीं है? बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होने कहा कि यह अन्याय है। यह संवाद और उस समय का वातावरण एवं परिवेश ही वह जिस चीज है जिसके चलते मैने

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

सावित्रीबाई : सामाजिक क्रांति की वाहक

सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में 'महिला मंडल' का गठन किया। इस तरह वे भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ बनीं

अनिता भारती

3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में जन्मीं सावित्रीबाई फुले ने भारत में स्त्री शिक्षा की ऊसर-बंजर जमीन पर नन्हा पौधा रोपकर उसे एक विशाल छतनार वृक्ष में तब्दील कर दिया। भारत में सदियों से शिक्षा से वंचित-शोषित, दलित-आदिवासी और स्त्री समाज को सावित्रीबाई फुले ने अपने निस्स्वार्थ प्रेम, सामाजिक प्रतिबद्धता, सरलता तथा अथक प्रयासों से अपने पति जोतिबा फुले के साथ मिलकर, शिक्षा पाने का अधिकार दिलवाया। सावित्रीबाई ने शिक्षा पर षड्यंत्रकारी तरीके से एकाधिकार जमाए बैठी ऊंची जमात का भांडा एक ही झटके में फोड़ डाला। जिस देश में एकलव्य का अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांगने वाले के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हों, जिस देश में शम्बूक जैसे शूद्र तपस्वी के वध की परंपरा हो, जिस देश में शूद्रों-अतिशूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने पर धर्मग्रंथों में उनके कान में गर्म सीसा डालने का फरमान जारी किया गया हो और जिस देश के तथाकथित ब्राह्मणवादी समाज के कवि द्वारा 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी' को ताडन का अधिकारी माना गया हो, ऐसे देश में किसी शूद्र समाज की स्त्री द्वारा सम्पूर्ण स्त्री व दलित समाज के लिए शिक्षा की क्रांति ज्योति जला देना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। परंतु अफसोस तो यह है कि 'जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान' वाले देश में जाति के आधार पर ही ज्ञान की पूछ होती है। यदि ऐसा नही है तो फिर भारत में आज भी 'शिक्षक दिवस' क्रांतिसूर्य सावित्रीबाई फुले के नाम पर ना मनाकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर क्यों मनाया जाता है ? क्या सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में देश को योगदान कम महत्वपूर्ण है ?

सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की पहली गैर-मिशनरी अध्यापिका और प्रधानाचार्या थीं अपितु वे समाज सुधारक, जागरूक कवयित्री और चिंतक भी थीं। वे कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन गईं। सावित्रीबाई ने जब काम करना शुरू किया, उस दौर में धार्मिक अंधविश्वास, रूढिवाद, अस्पृश्यता, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम पर थे। बाल-विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्मते ही मार देना, विधवा स्त्री के साथ तरह-तरह के अमानुषिक व्यवहार, अनमेल विवाह, बहुपत्नी प्रथा आदि व्याप्त थे। ऐसे समय में सावित्रीबाई और जोतिबा का इस अन्यायी समाज के खिलाफ खड़े हो जाना, सदियों से ठहरे और सड़ रहे गंदे तालाब में हलचल पैदा करने से कम नहीं था।

शिक्षा

सावित्रीबाई ने हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए गए शूद्र, अतिशूद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए गए दरवाजों को एक ही धक्के में लात मारकर खोल दिया। यह पुणे के सनातनियों को रास नहीं आया। वे सावित्रीबाई और जोतिबा पर प्राणलेवा हमले करने लगे। सावित्री और जोतिबा द्वारा जलाई गई शिक्षा ज्योति बुझ जाए इसके लिए उन्होंने जोतिबा के पिता गोविंदराव को भड़काकर उन्हें घर से निकलवा दिया। जब सावित्रीबाई घर से बाहर लड़कियों को पढ़ाने निकलतीं तो उन पर सनातनियों द्वारा गोबर-पत्थर फेंके जाते। उन्हें रास्ते में रोककर सवर्ण गुंडों द्वारा भद्दी गालियां दी जातीं तथा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जातीं थीं। लड़कियों के लिए चलाए जा रहे स्कूल बंद कराने के अनेक प्रयास किए जाते थे। सनातनी चाहते थे कि सावित्रीबाई डरकर घर बैठ जाएं। एक बदमाश रोज सावित्रीबाई फुले का पीछा कर उन्हें तंग करता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वह अचानक उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उन पर हमला कर दिया। तब सावित्रीबाई ने बहादुरी से उस बदमाश का मुकाबला करते हुए उसे दो-तीन थप्पड़ कसकर जड़ दिए। सावित्रीबाई फुले से थप्पड़ खाकर वह बदमाश इतना शर्मसार हो गया कि फिर कभी उनके रास्ते में नहीं आया। इस तरह जोतिबा और सावित्रीबाई ने अपना काम जारी रखा। ब्राह्मण पेशवाओं के राज में, पूना और उसके आसपास के इलाकों में, छुआछूत ने अत्यंत क्रूर व अमानवीय स्वरूप ले लिया था। ऐसे में पूना में स्कूल खोलकर, फुले दंपत्ति यह संदेश दे रहे थे कि वे ब्राह्मणवाद की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। इस तरह के जातिवादी माहौल में, फुले जैसे शूद्र दंपत्ति, अछूतों सहित सभी समुदायों की लड़कियों के लिए स्कूल खोल सके और उन्हें चला सके, एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। ऐसा परिवर्तनकामी काम इस देश में सावित्री-जोतिबा से पहले किसी ने नहीं किया था। सामाजिक बदलाव में इतने दमदार योगदान के बावजूद इस देश के सवर्ण समाज के जातीय घमंड के चलते फुले दंपत्ति को इतिहास में उपयुक्त स्थान नहीं मिला। परन्तु यह खुशी और संतोष की बात है कि आज स्वयं दलित-पिछड़ा, वंचित शोषित समाज इतिहास का पुनर्लेखन कर उनके अतुलनीय योगदान की गाथा को सबके सामने उजागर कर रहा है। फुले दंपत्ति के निस्स्वार्थ मिशन से प्रेरणा लेकर वंचित वर्गों के अनेक सदस्य उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज आदि खोलकर अपने समाज के छात्र-छात्राओं की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक मदद कर रहे हैं। पूना के भिड़वाड़ा, बुधवार पेठ में 1848 में खुले पहले स्कूल में छह छात्राओं ने दाखिला लिया जिनकी आयु चार से छह वर्ष के बीच थी। इनके नाम अन्नपूर्णा जोशी, सुमती मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी थत्ते, सोनू पवार और जानी करडिले थे। इन छह छात्राओं की कक्षा के बाद, सावित्री घर-घर जाकर लोगों से बच्चियों को पढाने का आह्वान करतीं। उनके इस अभियान का फल यह निकला कि पहले स्कूल में ही इतनी छात्राएं हो गईं कि एक और अध्यापक नियुक्त करने की नौबत आ गई। ऐसे समय विष्णु पंत थत्ते ने मानवता के नाते मुफ्त में पढाना स्वीकार कर विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले ने 1849 में पूना में ही उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोला। 1849 में ही पूना, सतारा व अहमदनगर जिले में पाठशाला खोलीं।

पहली भारतीय स्त्री अधिकारवादी

सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में 'महिला मंडल' का गठन किया। इस तरह वे भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुआ बनीं। इस 'महिला मंडल' ने बाल विवाह, विधवा विवाह के कारण स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ स्त्रियों को तथा अन्य को मोर्चाबंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। हिन्दू स्त्री के विधवा होने पर उसका सिर मूंड दिया जाता था। विधवाओं के सर मूंडने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लडने के लिए सावित्री बाई फुले ने नाईयों से विधवाओं के बाल न काटने का अनुरोध करते हुए आंदोलन चलाया, जिसमें काफी संख्या में नाईयों ने भाग लिया तथा ऐसा न करने की प्रतिज्ञा ली। इतिहास गवाह है कि भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा सशक्त आंदोलन नहीं मिलता, जिसमें औरतों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ स्त्रियों के साथ पुरुष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों और वह भी आर्थिक नुकसान उठाकर। नाईयों के कई संगठन सावित्रीबाई फुले द्वारा गठित 'महिला मंडल' के साथ जुड़े। सावित्री बाई फुले और 'महिला मंडल' के साथियों ने ऐसे ही अनेक आंदोलन वर्षो तक चलाए व अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। हमारे देश का इतिहास, धर्मग्रंथ और सामाजिक सुधार आंदोलन गवाह हैं कि हमारे समाज में स्त्रियों की कीमत एक जानवर से भी कम थी। स्त्री के विधवा होने पर उसके परिवार के पुरुष जैसे देवर, जेठ, ससुर व अन्य संबंधियों द्वारा उसका दैहिक शोषण किया जाता था, जिसके कारण वह कई बार मां बन जाती थीं। बदनामी से बचने के लिए विधवाएं या तो आत्महत्या कर लेती थीं, या फिर अपने अवैध बच्चे को मार डालती थीं। ऐसी स्त्रियां आत्महत्या न करें तथा अपने अजन्मे बच्चे को भी ना मारें, इस उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला 'बाल हत्या प्रतिबंधक गृह' खोला तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथाश्रम भी।

सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण काशीबाई, जो कि मां बनने वाली थी, को आत्महत्या करने से रोका और उसकी अपने घर में प्रसूति करवा के उसके बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल-पोसकर डॉक्टर यशवंत बनाया। उसके बड़े होने पर उसका अंतर्जातीय विवाह करवाया। महाराष्ट्र का यह पहला अभिलेखित अंतर्जातीय विवाह था। सावित्रीबाई और जोतिबा ने सारे परिवर्तन के कार्य अपने घर से ही शुरू किए। सावित्रीबाई जीवनपर्यंत अंतर्जातीय विवाह आयोजित व सम्पन्न कर जाति व वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहीं। उन्होंने लगभग 48 वर्षो तक दलित, शोषित, पीडित स्त्रियों को इज्जत से रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें स्वाभिमान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

मुक्तिकी कवयित्री

भारत की पहली अध्यापिका तथा सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थीं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वह सबको पढने-लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोडने और ब्राह्मण ग्रंथों को फेंकने की बात करती हैं-

जाओ, जाकर पढ़ो-लिखो
जाओ जाकर पढ़ो-लिखो
बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती
काम करो-ज्ञान और धन इकट्ठा करो
ज्ञान के बिना सब खो जाता है
ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं
इसलिए, खाली ना बैठो, जाओ, जाकर शिक्षा लो
दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो
तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है
इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो
ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो

एक चिंतक के तौर पर सावित्रीबाई का मानना था कि ऊंच-नीच ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। इसको बनाने में तो कुछ स्वार्थी इंसानों का ही हाथ है। उनने अपना भविष्य सुरक्षित करने और अपना जीवन ऐशो-आराम से जीने के लिए जातियां बनाईं। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करने पर सावित्रीबाई के भाई ने उन्हें भला-बुरा कहते हुए लिखा- 'तुम और तुम्हारे पति बहिष्कृत हो गए हैं। महार, मांगो के लिए तुम जो काम करते हो वह कुल भ्रष्ट करने वाला है। इसलिए कहता हूं कि जाति रूढि के अनुसार जो भट्ट कहें, तुम्हें उसी प्रकार आचरण करना चाहिए।' भाई की पुरातनपंथी बातों का जवाब सावित्रीबाई ने खूब अच्छी तरह देते हुए कहा कि-'भाई तुम्हारी बुद्धि कम है और भट्ट लोगों की शिक्षा से वह दुर्बल बनी हुई है।' एक अन्य पत्र में उन्होंने 1877 के अकाल की भीषणता का जिस मार्मिकता से वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सावित्रीबाई और जोतिबा फुले ने न केवल 'अन्न सत्र' चलाएं, बल्कि अकाल पीडितों को अनाज देने के लिए लोगों से अपील भी की। 1890 में जोतिबा का निर्वाण होने के बाद भी सावित्रीबाई पूरे सात साल समाज में काम करती रहीं। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया परंतु सावित्रीबाई बिना किसी भय के प्लेग-पीडितों की मदद करती रहीं। एक प्लेग पीडित दलित बच्चे को बचाते हुए स्वयं भी प्लेग पीडित हो गईं। अंततरू अपने पुत्र यशवंत के अस्पताल में 10 मार्च, 1897 को सावित्रीबाई का परिनिर्वाण हो गया। सावित्रीबाई फुले अपने कार्यों से सदा अमर रहेंगी। जिस वंचित-शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए उन्होंने जीवनपर्यंत संघर्ष किया, वह समाज उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए पिछले दो-तीन दशकों से पूरे भारत में उनकी जयंती को 'भारतीय शिक्षा दिवस' और उनकी पुण्यतिथि को 'भारतीय महिला दिवस' के रूप में मनाता आ रहा है।